न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अवि गर्ग, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
52/2019	प्रा0पत्र 144 CPC	16.12.2019	17.07.2020

गौरव शर्मा पुत्र श्री सुशील शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाढर तह0 व जिला चूरू (राज.)
—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरू.

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार राजपुरोहित प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि इस न्यायालय में दावा संख्या 67/2019 सरकार बनाम गौरव शर्मा अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम व सपठित धारा 63 (1) (5) का खेत खसरा नं. 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर तहसील व जिला चूरू में स्थित खातेदारी प्रार्थी के नाम से चली आ रही है उक्त कृषि भूमि न्यायालय द्वारा दावा संख्या 67/19 सरकार बनाम गौरव शर्मा के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.19 को सिवाय चक घोषित किया गया है जिसका इन्द्राज राजस्व अभिलेख में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना दिनांक 04.12.2019 को किया गया नामान्तरण दर्ज है। इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.19 के खिलाफ प्रार्थी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील संख्या 65/19 गौरव शर्मा बनाम राजस्थान सरकार पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 19.12.19 को पारित किया गया व इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.19 को अपास्त किया गया है। यह कि राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील सं. 65/19 गौरव शर्मा बनाम राजस्थान सरकार आदि में निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.19 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.19 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.19 की अनुपालना में किया गया वह इन्द्राज कानूनन हटाये जाने योग्य है व राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है। ऐसी स्थिति में वादगत कृषि भूमि बाबत राजस्व अभिलेख में दिनांक 18.10.19 की पूर्व स्थिति राजस्व अभिलेख में अंकित की जावे। यह कि राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.19 की अनुपालना में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.19 के आधार पर दर्ज इन्द्राज की पूर्व स्थिति राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार, चूरू को आदेशित किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेख में राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 18.10.19 के पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से नायब तहसीलदार पैरोकार राज ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वर्णित कथन स्वीकार है तथा कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय किया जाकर प्रार्थी की खसरा नम्बर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर वाके रोही ढाढर की कृषि भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कथन माननीय न्यायालय के निर्णय की मद तक स्वीकार है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है न कि पूर्व स्थिति बहाली का। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। यह कि मद सं. 3 अनुतोष मद है। माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 19.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर अपने निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 19.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019, जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो नियमानुसार कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। इसलिए कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें। राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल होने पर प्रार्थी उक्त भूमि का नियमानुसार व्यावसायिक संपरिवर्तन कराने हेतु तैयार है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 18.10.2019 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य-सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में कहीं भी दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश नहीं दिये हैं। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2019 की अनुपालना में पुनः दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या

65/2019 अनुवानी गौरव शर्मा बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2019 में अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के दावा सं. 67/2019 के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है तथा इस न्यायालय को निर्देशित किया है कि आपके कार्यालय में जेरकार संपरविर्तन पत्रावली का निर्णय पारित करने के पश्चात् इस प्रकरण का निस्तारण करें। अगर संपरिवर्तन पत्रावली का निस्तारण किया जा चुका है तो अपीलार्थी को आदेश उपलब्ध करावें अन्यथा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को अपास्त कर अपने निर्णय में प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः सुनवाई का आदेश दिया है न कि पूर्व की स्थिति बहाली का। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार आदेश फरमाया जावे। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है। राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल होने पर प्रार्थी उक्त भूमि का व्यावसायिक संपरिवर्तन करवाने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के लिए कहा है, न कि बहाली के लिए। अतः प्रार्थना पत्र में नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.12.2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2019 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2019 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी प्रथम दृष्टया उक्त वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थी ने पूर्व स्थिति बहाल होने पर उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने का कथन भी किया है। इसलिए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही ढाढर के राजस्व अभिलेख में दिनांक 18.10.2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादगत कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्यों में उपयोग व उपभोग नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.7.2020

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू